



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 47 अंक 1

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

15 फरवरी, 2024

फोन : 0141-2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु

Union Budget (Interim) 2024-25 Highlights

February has come 2024 being election year everybody has been eagerly waiting for some kind of gift for them in kifty of announcements made by Finance Minister N. Sitaraman.

Let us look into the major announcement made by Finance Minister in her budget speech 2024-25, which, owing to upcoming elections is an interim Budget.

Fiscal deficit target for 2024-25 set at 5.1% of GDP. The revised fiscal deficit figures for 2023-24 at 5.8% were lower than the 5.9 % announced during budget 2023-24.

F.M. While making Budget speech said that the aim of PM Modi Government is to "include all" in development process and that makes inclusion of poor, youth, women and the annadata (farmers) so much more necessary. **Capital expenditure by Government to increase by 11.1% to Rs.11, 11,111 crore that will be 3.4 % of the GDP.**

Foreign Investments :-

FDI flow during last 10 years (2014-23) was record breaking at USD 596 Billion. "First develop India" (FDI) initiative is being undertaken by Government by negotiating bilateral investment treaties with foreign partners.

School and higher education :-

Budget 2024-25 saw proposed increase in spending on school education by 0.73% from FY 23-24 in line with spirit of NEP. The budget allocation to school education sector has been increased to Rs. 73,008 crore from last financial year. The focus of NEP is to develop entrepreneurial mindset in young students, emphasizing education and skill development.

"Net zero" by 2070 :-

To achieve "Net zero" by 2070, coal gasification and liquefaction capacity shall be set, initially at 100 MT by 2030. Centre shall provide financial assistance for procurement of biomass aggregation machinery.

(शेष पृष्ठ 7 पर)

पाक्षिक का 47वें वर्ष में प्रवेश

राजस्थान सरकार का हिन्दी पाक्षिक पत्र "राजस्थान रोजगार संदेश" इस अंक के साथ अपने प्रकाशन के 46 वर्ष पूर्ण कर 47वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

प्रकाशन की छियालीस वर्ष की इस सतत यात्रा में सहहृदयी पाठक वर्ग का हमें पूर्ण सहयोग मिला। पाक्षिक के 47वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर पाठकों, विज्ञापनदाताओं, वितरकों तथा इससे जुड़े अन्य सहयोगियों को बधाई एवं आभार।

सम्पादक

बजट 2024

राजस्थान प्रमुख बिन्दु

"सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका कल्याण ...

इस मंत्र को लेकर विकास को नई उचाईयों पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं"

"चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है"

-वित्तमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी बजट उद्बोधन के दौरान

- बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 70 हजार नई सरकारी नौकरियों की घोषणा।
- गाय पालको के लिए किसान क्रेडिटकार्ड के तर्ज पर गोपाल कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख का ब्याज रहित ऋण मिलेगा। पहले फेज में 5 लाख गो-पालको को कर्ज दिया जायेगा।
- प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की छेड़खानी के मामलों पर रोक लगाने हेतु पुलिसस्थानों में एंटीरोमियो स्कवॉड का गठन होगा।
- 300 युनिट सोलर बिजली फ्री मिलेगी।
- सभी जिलों में आदर्श रजिस्ट्रेशन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस।
- ऑनलाइन ईटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को व्यापक किया जाएगा।
- चीनी एवं गुड पर लागू मंडी शुल्क को समाप्त किया गया।
- विगत सरकार के समय अध्यापित लैंड टैक्स को समाप्त किये जाने का फैसला लिया गया।
- स्कूल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना उन्नयन हेतु 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव बजट में है।
- महाराणा प्रताप टूरिस्ट स्थल घोषित करने हेतु 100 करोड़ प्रावधान।
- 20 मंदिरों के विकास हेतु 300 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने का प्रस्ताव।
- वंचित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्तमंत्री द्वारा गेहूँ की एम.एस.पी पर 125 रु. बोनस देने का प्रावधान बजट में किया गया। साथ ही 2000 करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर कोश बनाया जाएगा। किसानों को बीज मुफ्त बांटें जाएंगे।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीपीसी में मिलेगी 2 वर्ष की छुट।
- पेंशन धारकों को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की व्यवस्था।
- 60 वर्ष से 80 वर्ष के बुजुर्गों को दी जा रही 30 प्रतिशत किराये की छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रावधान।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रु. से बढ़ाकर 1150 रु. की जाएगी। इस हेतु बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- लाइली सुरक्षा योजना के तहत छात्रावासों में कैमरें लगाए जाएंगे।
- आंगनवाडी कार्यकर्ताओं त्मगपबव सुरक्षाकर्मियों इत्यादि के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान।
- बजट में साइबर हेल्प डेस्क तैयार किए जाने का ऐलान। साइबर क्राइम हेतु विशेष कार्य योजना बनाया जाना प्रस्तावित।
- 73 लाख परिवारों को 450 रूपए में रसोई गैस सिलेंडर और अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 450 ग्राम के बजाए 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा।
- सड़क मार्गों हेतु 1500 करोड़ रुपये की घोषणा।
- जयपुर मेट्रो को विस्तारित किया जाएगा सीतापुरा से अम्बाबाडी होते हुए विद्याघर नगर तक नए मेट्रो रूट का डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी।
- जोधपुर, जयपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने का ऐलान।
- हर जिले में रोजगार मेला लगाया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किये जायेंगे।
- बीस हजार युवाओं को गाइड हास्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। अल्प आय सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाएगी।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 14/परीक्षा/ व.अ./संस्कृत शिक्षा/RPSC/EP-1/2023-24

दिनांक 31.01.2024

आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ (विद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2015 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित विषयों के कुल 347 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वगैर वगैर निम्नानुसार है:-

Post S. No.	Name of Subject	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
			GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV
1	संस्कृत (N.S.A.)	66	17	5	1	1	7	2	1	0	7	3	0	0	9	3	1	0	2	1	0	0	4	1	1	0
	संस्कृत (S.A.)	13	7	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	हिन्दी (N.S.A.)	34	11	3	1	0	4	1	0	2	0	1	0	5	2	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	
	हिन्दी (S.A.)	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	अंग्रेजी (N.S.A.)	46	12	4	1	0	6	1	1	0	4	1	1	0	7	1	1	0	2	0	0	2	2	0	0	
	अंग्रेजी (S.A.)	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	सामाजिक विज्ञान (N.S.A.)	61	18	7	2	0	4	1	1	0	5	2	0	0	8	3	1	0	2	1	0	0	4	2	0	
	सामाजिक विज्ञान (S.A.)	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	गणित (N.S.A.)	61	9	3	1	0	10	3	0	0	10	3	1	0	8	3	1	0	2	1	0	0	4	1	1	
	गणित (S.A.)	7	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	विज्ञान (N.S.A.)	47	13	4	1	1	6	2	1	0	3	1	0	0	7	1	1	0	2	0	0	0	3	0	1	

Abbreviations Used: N.S.A. – Non Scheduled Area, S.A. – Scheduled Area, GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman, P.H. – Physical Handicapped.

टिप्पणी:- एकाधिक दिव्यांगता (Mul. Dis.-Multiple Disability) श्रेणी के लिए उपयुक्त सारणी में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (i) एवं (ii) की अनिवार्यता के साथ (iii) में वर्णित कोई एक विकलांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

विशेष नोट :-
अनुसूचित क्षेत्र के अर्थात् गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अर्थात् अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाम देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अर्थात् ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अर्थात् यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अर्थात् अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।
टिप्पणी:- यदि अनुसूचित क्षेत्र के अर्थात् अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्यतः अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अर्थात् उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अर्थात् उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्थात् उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अर्थात् द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अर्थात् रिक्तियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्तर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोट के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्थात् अर्थात् जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सार्विक सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो

(क्रमशः)



विदेश में काम करने का सुनहरा अवसर पाएं
राजस्थान श्रमिकों के लिए
इज़राइल में नए कौशल खोजें

इज़राइल में कटियर की दिशा में पहला कदम

राजस्थान श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसर

• 4 क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियाँ :

- प्लास्टरिंग
- सिरेमिक टाइल
- शटरिंग कारपेंटर
- आयरन बेंडिंग

• रोजगार अनुबंध: न्यूनतम 12 महीने, जिसे 63 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

• वेतन: न्यूनतम मासिक वेतन 6,100 एनआईएस (137,000* रुपये के बराबर) निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता आपको आवास, भोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा भी प्रदान करेगा।

STEP 1:-

पंजीकरण हेतु:



<https://forms.gle/KsA0B9XSwPm3hgFs5>

आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है -

- आयु: 21-45 वर्ष
- योग्यताएँ: जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया है उसमें कुशल
- भाषा कौशल: इंटरमीडिएट स्तर की अंग्रेजी में कुशल
- शिक्षा: 5 वीं कक्षा और उससे अधिक
- पूर्व अनुभव: इज़राइल में कभी काम न किया हो
- स्वच्छ रिकॉर्ड: भारत से स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट; मादक द्रव्यों के सेवन का कोई इतिहास नहीं
- स्वास्थ्य मानक: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट; कोई दीर्घकालिक रोग नहीं
- नागरिकता: भारतीय नागरिकता आवश्यक है

STEP 2:- हेल्पलाइन के माध्यम से पंजीकरण हेतु:

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज हैं :

- पासपोर्ट नंबर
- वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
- जीवनसाथी का नाम, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर और योग्यता
- स्वयं कि योग्यता



@nikraj



nikrj_official



nikrj_japur



nikrj_japur

ईमेल - opb.rajasthan@rajasthan.gov.in

हेल्पलाइन - 0141-2701164

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

जे - 8-ए, ई.एम.आई कैंपस, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना इंगरी, जयपुर, राजस्थान, पिन- 302004



सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

4, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिवाबाद, गाजियाबाद (यूपी)

दूरभाष नं. 0120-2895143, ई-मेल: celrecruitment@celindia.co.in

सीआईएन: U32109DL1974GOI007325

डीएसआईआर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीपीएसई में नियमित और अनुबंध के आधार पर विभिन्न विषयों में विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
क. नियमित पद

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या	योग्यता	अनुभव
1.	महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक (वित्त) ग्रेड - ई7/ई6	पद-01 (यूआर)	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या कॉन्स्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट/फेलो के साथ न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक.	20 वर्ष/18 वर्ष
2.	अपर महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास एवं विपणन, कॉर्पोरेट समन्वय) ग्रेड - ई6	पद-01 (यूआर)	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमबीए डिग्री.	18 वर्ष
3.	मुख्य प्रबंधक/वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक (माइक्रोवेव) ग्रेड - ई5/ई4	पद-02 (01-यूआर एवं 01-ओबीसी)- ई-5/ पद पद-02 (02-यूआर)-ई4	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. की डिग्री.	16 वर्ष /12 वर्ष
4.	सहायक तकनीकी प्रबंधक (एसबीएमयू) ग्रेड - ई2	पद-01 (01-यूआर)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/टेलीकम्युनिकेशन/कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री.	06 वर्ष
5.	उप अभियंता (एस.पी.डी.) ग्रेड - ई1	पद-04 (01-यूआर एवं 03-ओबीसी)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंसट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री. या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इंटीग्रेटेड एंबेडेड सिस्टम में एम.टेक./एम.ई. डिग्री प्राप्त उम्मीदवार (योग्यता उपरान्त बिना किसी अनुभव के) इस पद के लिए योग्य होंगे.	02 वर्ष
6.	उप अभियंता (एस.पी.डी.) ग्रेड - ई1	पद-02 (02-ओबीसी)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री. या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एम.टेक./एम.ई. डिग्री प्राप्त उम्मीदवार (योग्यता उपरान्त बिना किसी अनुभव के) इस पद के लिए योग्य होंगे.	02 वर्ष
7.	उप अभियंता (एस.पी.डी.) ग्रेड-ई1	पद-02 (02-ओबीसी)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री. या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एम.टेक./एम.ई. डिग्री प्राप्त उम्मीदवार (योग्यता उपरान्त बिना किसी अनुभव के) इस पद के लिए योग्य होंगे.	02 वर्ष
8.	उप अभियंता (एम.ई.डी.) ग्रेड - ई1	पद-03 (01-यूआर एवं 02-ओबीसी)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ सिरिम्क/धातुकर्म इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री.	02 वर्ष
9.	उप अभियंता (एम.ई.डी.) ग्रेड-ई1	पद-02 (01-ओबीसी एवं 01-अनुसूचित जाति)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री.	02 वर्ष
10.	क्रय अधिकारी (एम.एम.डी.) ग्रेड - ई1	पद-03 (01-यूआर एवं 02-ओबीसी)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ आगुति श्रृंखला प्रबंधन या सामग्री प्रबंधन में एमबीए/पीजीडीएम/पीजीपी के साथ स्नातक. या उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ में बी.ई./बी.टेक. डिग्री होनी चाहिए.	02 वर्ष

ख. सविदात्मक पद

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या	योग्यता	अनुभव
01	उप अभियंता (एस.एस.जी.) अनुबंध के आधार पर ग्रेड - ई1	पद-02 (01-यूआर एवं 01-ओबीसी)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार/कंप्यूटर/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री होनी चाहिए.	02 वर्ष
02	उप अभियंता (एम.ई.डी.) अनुबंध के आधार पर ग्रेड-ई1	पद-02 (01-यूआर एवं 01-ओबीसी)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ धातुकर्म/सामग्री/सिरिम्क इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री होनी चाहिए. या धातुकर्म/सामग्री/सिरिम्क इंजीनियरिंग में एम.टेक./एम.ई. डिग्री प्राप्त उम्मीदवार (योग्यता के बाद 02 वर्ष के अनुभव के बिना) इस पद के लिए योग्य होंगे.	02 वर्ष
03	उप अभियंता (एम.ई.डी.) अनुबंध के आधार पर (समेकित वेतन)	पद-01 (यूआर)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ मैकेनिकल/धातुकर्म/सामग्री/सिरिम्क इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री होनी चाहिए. या मैकेनिकल/धातुकर्म/सामग्री/सिरिम्क इंजीनियरिंग में एम.टेक./एम.ई. डिग्री प्राप्त उम्मीदवार (योग्यता के बाद 02 वर्ष के अनुभव के बिना) इस पद के लिए योग्य होंगे.	02 वर्ष
04	प्रबंधन प्रशिक्षार्थी (एस.एस.जी.) अनुबंध के आधार पर (समेकित वेतन)	पद-01 (यूआर)	न्यूनतम 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार/कंप्यूटर/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. डिग्री होनी चाहिए.	कुछ नहीं

वेतनमान और आयु सीमा निम्नानुसार हैं:

ग्रेड / पोस्ट	वेतनमान/कुल परिलब्धियां	नियमित पोस्ट के लिए लगभग सीटीसी	सविदा पद के लिए लगभग सीटीसी	आयु सीमा 31.01.2024 तक
ई-7- महाप्रबंधक	रु. 100000-3%-260000/-	रु. 26.93 लाख प्रति वर्ष	-	54 वर्ष
ई-6- अपर महाप्रबंधक	रु. 90000-3%-240000/-	रु. 24.28 लाख प्रति वर्ष	-	52 वर्ष
ई-5- मुख्य प्रबंधक	रु. 80000-3%-220000/-	रु. 21.62 लाख प्रति वर्ष	-	48 वर्ष
ई-4- वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक	रु. 70000-3%-200000/-	रु. 18.97 लाख प्रति वर्ष	-	42 वर्ष
ई-2- सहायक तकनीकी प्रबंधक	रु. 50000-3%-160000/-	रु. 13.67 लाख प्रति वर्ष	-	35 वर्ष
ई-1- उप अभियंता/अधिकारी	रु. 40000-3%-140000/-	रु. 11.02 लाख प्रति वर्ष	रु. 9.59 लाख प्रति वर्ष	30 वर्ष

और

पदनाम	समेकित वेतन (प्रति माह)	आयु सीमा 31.01.2024 तक
प्रबंधन प्रशिक्षार्थी (एस. एस. जी.) अनुबंध के आधार पर*	प्रथम वर्ष में रु. 35,000/- द्वितीय वर्ष में रु. 40,000/-	28 वर्ष
उप अभियंता (एम.ई.डी.) अनुबंध के आधार पर (समेकित वेतन)	रु. 50000/-	--

पात्रता मानदंड और अन्य नियमों और शर्तों का विवरण हमारी वेबसाइट www.celindia.co.in पर उपलब्ध है. सीईएल परिसर में सीडी पोस्ट/कूरियर द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.03.2024 है. अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

(पृष्ठ 1 का शेष)

Viability Gap Funding was proposed in Budget 2024-25 for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 GW.
Use of Electrical vehicles in public transport (E- Buses) shall be promoted.

Roof Top solarisation : -

Under umbrella of Pradhanmantri Suryodaya Yojna, rooftop solar installation shall be provided in one crore households to provide up to 300 free units of electricity resulting in savings of Rs 15000- Rs 18000 annually per household.

Sunrise Domain Development : -

For this a corpus of Rs 1 lakh crore was announced. The corpus shall provide 50 year interest free loan to encourage private sectors to scale up Research and innovation in Sunrise Domains.

Infrastructure

Housing : -

With the target to provide housing to 3 core people under PM Awas Yojna Grameen (PMAY-G) almost within touching numbers, F.M. announced for providing housing to additional 2 crore people under PMAY- Grameen in next 5 years.

PM Gati Shakti : -

Three major railway corridor programmes for freight transportation, port connectivity and high traffic density to be implemented under PM Gati Shakti.

Island Development & tourism : -

Projects for port connectivity, tourism, and infrastructure and amenity development to be undertaken in islands.

Health : -

Cervical cancer vaccination shall be provided for girls between 9 to 14 years of age.
Health cover under Ayushman Bharat to be extended to all ASHA, Anganwadi workers & helpers as well.

Women Empowerment

Lakshpati Didi Scheme : -

Keeping up with its target to empower women via self employment, finance Minister announced increase in target (beneficiaries) of "lakshpati Didi" Scheme from 2 crore to 3 crore. Under this scheme women self- help group (SHG) workers earn at least Rs 1 lakh in a year.
The FM further added that "Female enrolment in higher education is up by 28% in last 10 years". Particularly in STEM (Science, technology, Engineering and mathematics) courses, girls and women make up 43% of enrolment, one of the highest in world.
Under PM Mudra Yojna, or total of 43 crore loans amounting to Rs 22.5 lakh crore have been granted.

(पृष्ठ 1 का शेष)

- पहली से आठवीं के छात्र एवं नौवीं से बारहवीं की छात्राओं को 1000 रुपये दिये जाएंगे इससे करीब 70 लाख छात्र और छात्राएं लाभान्वित होंगे।
- राज्य के 20 आस्था केन्द्रों पर 300 करोड़ रुपये की लागत से सौन्दर्य करण एवं नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।
- किसान सम्मान निधि की राशि में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई, अब यह राशि 6000 रुपये से बढ़कर 8000 रुपये हो गई है।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 5 लाख वाटर हार्डस्टिंग स्ट्रक्चर 20000 गांवों में बनाये जाने के ऐलान इस हेतु 11200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- जयपुर के पास हाईटेक सिटी बनाए जाने की घोषणा।
- मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 18 से 45 वर्ष के श्रमिकों हेतु प्रस्तावित।

(पृष्ठ 4 का शेष)

कोई मूलभूत सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को प्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्राथमिक पद प्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार खोजों के बारे में कोई सूचना प्रहण/व्यवस्था देना है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे मूलभूत सैनिक प्रहण के फायदे से विचारित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और भी कि मूलभूत सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नियुक्त/संवित्/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को मूलभूत सैनिक प्रहण के फायदे से विचारित नहीं किया जाएगा। "कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (मूलभूत सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के अंतर्गत मूलभूत सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी मूलभूत सैनिकों को ही देय है।"

- शासन के परित्र अंकक प6(10)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परित्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बांछनीय होगा।
- ऐसा कोई भी अस्थायी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पर्याप्त दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चे/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्वाह नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चे/संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रहण से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक परभावपूर्ण प्रहण से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होती हैं, वहाँ बच्चे/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रहण से पैदा हुई हो और निश्चयता हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अस्थायी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उद्योग में के अधीन नियुक्ति के लिए निर्वाह नहीं है तो उसे निर्वाह नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रहण द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबन्ध किसी विधि एवं विधान विरुद्ध/व्यवहार/परिष्कार/श्रेणी की महिशाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शाब्द-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बांछनीय होगा।
- आवेदक को विधान में उल्लेखानुसार आवश्यक बांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- विद्या/विधिगत विवाह/तलकानुपत्र/परिष्कार श्रेणी की महिशा को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विद्या/परिष्कार श्रेणी में होने संबंधी शाब्द पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को अनिन्द शैक्षणिक संस्था का परित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें परित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त आवश्यक सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दार्शनिक होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचारार्थी होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकिस्ता जीव सम्बन्धी विकिस्ता प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पुष्टि उपयुक्त है।
- आवेदक को पहले से ही सरकारी सेवा यथा केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उसका पदों हेतु नहीं माना है, उन्हें अपने नियोजता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- अस्थायी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-
अस्थायी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए परीक्षाविधियों हेतु आयोग द्वारा आवेदन की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य विज्ञान-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करने हेतु आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्ति/ऑफिसाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुंकि आयोग द्वारा अस्थायी की पात्रता की जांच सम्बंधित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थायी रूप से चयनित अस्थायियों द्वारा प्रस्तुत विकृत आवेदन-पत्र के मध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। अगर अस्थायी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अस्थायी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अस्थायी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विधान में विधानित पद हेतु समस्त स्थिति उल्लानुसार सफ्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-नित्र/अन्य संकेत द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/सोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार अस्थायी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक बांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विधान के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रहता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाइन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्थायी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य विन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपर्युक्त नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाविधियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य विज्ञान-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpcs.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सुझाव/स्पर्धकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परित्र में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं-0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार साक्ष्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बंधित किया जाए।

सफलता कि ओर

छोटी सी असफलता से तू ना हो हताश,
उठ एक बार फिर कर मेहनत जमकर
ऐसी छोटी हार से ना दे मन के भीतर आघात।।

आज दिख रहा जरूर अंधेरा चहुँ ओर तुझे,
पर होगा कल रोशन हर मंजर देख
तेरी ही रोशनी से फैलेगा सफलता का प्रकाश
छोटी सी असफलता से तू ना हो हताश।।

उठ एक बार फिर लड़ अपनी ही विपरीत परिस्थितियों से,
उतर जा मैदान में फिर एक बार
होगा सफल इस बार जरूर तू खुद पर
सबसे पहले कर विश्वास।।

और ज्यादा मीठा होगा
इस करवाहट का स्वाद पहले से
बस जमकर कर अपने अन्दर प्रयास।।

जीवन मे ना रूक कभी, ना थक कभी
दिल मे भर परिश्रम के जज्बात,
चल आगे बढ़ जब तक रहे जीवन की अंतिम साँस
छोटी सी असफलता से तू ना हो हताश।।

रोजगार के अवसर (संक्षिप्त जानकारी)

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड पद - ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पद संख्या - कुल 40 पद अंतिम तिथि - 19 फरवरी, 2024 https://www.hindustancopper.com/	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पद - एलडीसी, अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स आदि पद संख्या - कुल 42 पद अंतिम तिथि - 18 फरवरी, 2024 https://ninpune.ayush.gov.in/	वॉलंटी काउंसिल ऑफ इंडिया पद - डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर आदि पद संख्या - कुल 93 पद अंतिम तिथि - 21 फरवरी, 2024 https://qcin.org/	सीडैक पद - प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट आदि पद संख्या - कुल 325 पद अंतिम तिथि - 20 फरवरी 2024 https://careers.cdac.in/
आरएफसीएल पद - अटेंडेंट पद संख्या - कुल 39 पद अंतिम तिथि - 22 फरवरी, 2024 https://www.rfcl.co.in/	सीएसआइआरफोर्थपीआई पद - टेक्निकल असिस्टेंट आदि पद संख्या - कुल 17 पद अंतिम तिथि - 29 फरवरी, 2024 https://csir4pi.res.in/	इलाहाबाद हाईकोर्ट पद - एडवोकेट पद संख्या - कुल 83 पद अंतिम तिथि - 29 फरवरी 2024 www.allahabadhighcourt.in/	एमआरपीएल पद - असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव्स पद संख्या - कुल 11 पद अंतिम तिथि - 24 फरवरी 2024 https://www.mrpl.co.in

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

- जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ ?
(अ) 1942 (ब) 1945 (स) 1947 (द) 1931
- गुणभाष नामक ग्रंथ की रचना किसने की ?
(अ) शिवदास शास्त्री (ब) बीरू सूजा
(स) हेम कवि (द) इनमें से कोई नहीं
- बागौर की हवेली स्थित है ?
(अ) उदयपुर (ब) अजमेर
(स) जैसलमेर (द) झालावाड़
- मेवाड़ की पुकार नामक घोषणा पत्र का संबंध है ?
(अ) दुर्गासाद वैशरी (ब) सुमनेश जोशी
(स) मोतीलाल तेजावत (द) इनमें से कोई नहीं
- हाल ही में राजस्थान के किस शिवलाड़ी को अर्जुन अवॉर्ड दिया गया है ?
(अ) कृष्णा नागर (ब) अविनि लेखरा
(स) दिव्यकीर्ति सिंह राठी (द) इनमें से कोई नहीं
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को ऊँट वर्ष घोषित किया गया है ?
(अ) 2023 (ब) 2024 (स) 2025 (द) 2026
- राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवॉर्ड दिया गया है ?
(अ) गजे सिंह राजपुरोहित (ब) मणि मधुकर
(स) संजय मिश्रा (द) कोई नहीं
- हाल ही में ODF+ मॉडल पंचायत अवॉर्ड किस जिले को दिया गया है ?
(अ) भेरूडा (ब) लदाना
(स) निमली (द) संबलपुर
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया ?
(अ) बीकानेर (ब) सिराही
(स) उदयपुर (द) जयपुर
- राज्य में ई-धरती पोर्टल को संबंध है ?
(अ) किसान ऋण वितरण (ब) गांव की मैपिंग
(स) शाला मानचित्र (द) कोई नहीं
- टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है ?
(अ) हाथ (ब) टांग
(स) कान (द) नाक
- वायु में कौनसी गैस सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है ?
(अ) ऑक्सीजन (ब) आर्गन
(स) हाइड्रोजन (द) नाइट्रोजन
- कपाल क्या है ?
(अ) गंगा डेल्टा (ब) तराई मैदान
(स) केरल के तैलून (द) इनमें से कोई नहीं
- हाल ही में चर्चित 'CAR T-सेल थेरेपी' का संबंध किससे है ?
(अ) कैंसर (ब) टी बी
(स) एड्स (द) मधुमेह
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ?
(अ) जूलिया संबॉटिडे (ब) नवाफ सलाम
(स) दलवीर बंधारी (द) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला

- 1 (अ) 2 (स) 3 (अ) 4 (स) 5 (स) 6 (ब) 7 (अ) 8 (ब)
9 (स) 10 (ब) 11 (ब) 12 (द) 13 (स) 14 (अ) 15 (ब)

बेरोजगारी भत्ते से मिली जीवन को नई दिशा



प्रार्थी का नाम - नानूराम वर्मा

सक्सेस स्टोरी

मैं नानूराम वर्मा निवासी - बुनकरों की टाणी, नांगल सिरस तह. आमेर ने रोजगार कार्यालय, जयपुर में भते हेतु अपना आवेदन दिया था। बेरोजगारी भत्ते से प्राप्त राशि का उपयोग मैंने अपने करियर निर्माण हेतु प्रतियोगी परीक्षा में किया और मेरा चयन स्कूल व्याख्याता के पद पर हो गया है। सरकार की इस सराहनीय योजना के कारण आज मैं अच्छी नौकरी पाने में सफल हुआ हूँ। सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।



प्रार्थी का नाम - फैली राम सिंगोदिया

सक्सेस स्टोरी

मैं फैली राम सिंगोदिया निवासी - किरानपुरा तह. बस्सी ने रोजगार कार्यालय, जयपुर में भते हेतु अपना आवेदन दिया था। बेरोजगारी भत्ते से प्राप्त राशि का उपयोग मैंने अपने करियर निर्माण हेतु प्रतियोगी परीक्षा में किया और मेरा चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 के पद पर हो गया है। सरकार की इस सराहनीय योजना के कारण आज मैं अच्छी नौकरी पाने में सफल हुआ हूँ। सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रु. 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगुजर

सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398

e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in